

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, प०सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय।

ज्ञापांक :/जि.ग्रा., दिनांक:.....

4

आदेश

District Mineral Foundation Trust (DMFT) में प्राप्त निधि के सही उपयोग हेतु उक्त निधि से योजनाओं का निष्पादन एवं पर्यवेक्षण के लिए कार्यालय पत्रांक 591/गो०, दिनांक 10.04.2017 के द्वारा एक DMFT कोषांग का गठन किया गया था, जिसमें पत्रांक 1766/गो०, दिनांक 12.09.2017 द्वारा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी।

प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यहित में एतद द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 1766/गो० में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारी/ कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाती है एवं अन्य निदेश यथावत रहेंगे :-

1. श्री अजय कुमार यादव, वरीय लेखा पदाधिकारी, डी.आर.डी.ए., चाईबासा।
2. श्री अतुल कुमार, प्रधान लिपिक, जिला गोपनीय शाखा, चाईबासा।
3. श्री राजीव रंजन मणि, लिपिक-सह-कम्प्यूटर चालक, डी.आर.डी.ए., चाईबासा।
4. श्री नीरज कुमार, जनसेवक, प्रतिनियुक्त जिला परिषद, चाईबासा।
5. श्री रंजीत महतो, तकनीकी विशेषज्ञ, जल छाजन, चाईबासा।
6. श्री सिद्धार्थ कुमार, लिपिक, जिला योजना शाखा, चाईबासा।
7. श्री नीरज कुमार राम, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जिला योजना शाखा, चाईबासा।

DMFT कोषांग नव निर्मित समाहरणालय के द्वितीय तल्ले पर अवस्थित 2-F Block के कमरा संख्या 03 में संचालित होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु समझा जाय।

 22/3/18

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,
प०सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक : 733 /जि.ग्रा., दिनांक : 22-03-2018

प्रतिलिपि : श्री अजय कुमार यादव, वरीय लेखा पदाधिकारी, डी.आर.डी.ए./ श्री अतुल कुमार, प्रधान लिपिक, जिला गोपनीय शाखा/ श्री राजीव रंजन मणि, लिपिक-सह-कम्प्यूटर चालक, डी.आर.डी.ए., / श्री नीरज कुमार, जनसेवक, प्रतिनियुक्त जिला परिषद/ श्री रंजीत महतो, तकनीकी विशेषज्ञ, जलछाजन/ श्री सिद्धार्थ महापात्रा, लिपिक, जिला योजना शाखा, चाईबासा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला खनन पदाधिकारी, प०सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

 22/3/18

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,
प०सिंहभूम, चाईबासा।